(५)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 75/2024 **दायर दिनांकः 03.07.2024**

उनवान

1. पूरीबाई पुत्री फतेहलाल जाति धाकड नि. चछलाव तहसील सुनेल

– वादीया

बनाम

1. प्रकाशचन्द पुत्र बापूलाल जाति धाकड़ नि. चछलाव तहसील सुनेल
2. रत्तीराम पुत्र श्रीराम जाति धाकड़ नि. चछलाव तहसील सुनेल
3. कलावतीबाई पुत्री श्रीराम पत्नी दौलतराम जाति धाकड़ नि. चछलाव हाल नि. भवानीमण्डी
4. गीताबाई पुत्री श्रीराम पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड़ नि. चछलाव हाल नि. झालरापाटन
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

वकील वादीया – श्री रमेशचन्द नागर
प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 5 – पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

निर्णय

दिनांक 19/03/2026

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीया उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 153 का ख.नं. 479 रकबा 0.2403 है. एवं खाता सं. 154 का ख.नं. 478 रकबा 0.7841 है. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.09.2025 के अनुसार उभयपक्ष की सहमति होने पर ही सहखातेदारों को पहुंच हेतु 10 फीट रास्ता प्रदान करते हुए, वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक दिनांक 17.02.2026 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादीया की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीया की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 153 का ख.नं. 479 रकबा 0.2403 है. एवं खाता सं. 154 का ख.नं. 478 रकबा 0.7841 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीया एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	दिशा
1	पूरीबाई पुत्री फतेहलाल जाति धाकड नि. चछलाव	479 478	0.1202 0.3920	उत्तर उत्तर पूर्व
		किता 2	0.5122	
2	श्रीराम पि. भवाना जाति धाकड नि. चछलाव	479	0.1201	दक्षिण
3	प्रकाशचन्द पि. बापूलाल हि. 2/3 श्रीराम पि. भवाना हि. 1/3 जाति धाकड नि. चछलाव	478	0.3921	दक्षिण पश्चिम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:24 IST
Reason: SelfAttested

19/03/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 75/2024 दायर दिनांकः 03.07.2024

उनवान

1. पूरीबाई पुत्री फतेहलाल जाति धाकड नि. चछलाव तहसील सुनेल

– वादीया

बनाम

1. प्रकाशचन्द पुत्र बापूलाल जाति धाकड़ नि. चछलाव तहसील सुनेल
2. रत्तीराम पुत्र श्रीराम जाति धाकड़ नि. चछलाव तहसील सुनेल
3. कलावतीबाई पुत्री श्रीराम पत्नी दौलतराम जाति धाकड़ नि. चछलाव हाल नि. भवानीमण्डी
4. गीताबाई पुत्री श्रीराम पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड़ नि. चछलाव हाल नि. झालरापाटन
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक –

वकील वादीया – श्री रमेशचन्द नागर
प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 5 – पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरू ....X............................मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 153 का ख.नं. 479 रकबा 0.2[illegible] है व खाता सं. 154 का ख.नं. 478 रकबा 0.7841 है. भूमि [illegible] तहसीलदार [illegible] से प्राप्त बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीया एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा है.	दिशा
1	पूरीबाई पुत्री फतेहलाल जाति धाकड नि. चछलाव	479 478	0.1202 0.3920	उत्तर उत्तर पूर्व
		किता 2	0.5122	
2	श्रीराम पि. भवाना जाति धाकड नि. चछलाव	479	0.1201	दक्षिण
3	प्रकाशचन्द पि. बापूलाल. हि. 2/3 श्रीराम पि. भवाना हि. 1/3 जाति धाकड नि. चछलाव	478	0.3921	दक्षिण पश्चिम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

19/3/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X.............गुबालिक ....X.............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner